

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/1/2009-10/

दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
अलवर।

विषय:- तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के 2 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत।

प्रसंग :- राजस्व गुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(5)राज-1/2008 दिनांक 07.09.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के 2 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना दिनांक 07.09.2018 अन्तर्गत धारा 106, 107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

हं

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिभू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:- 26-9-18

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 2315
प्रतिलिपि:-

1- प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक-एक छाया प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

SM
26-9-18

53

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1/2008

जयपुर, दिनांक 17 SEP 2018

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीन कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(5)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 130 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीन कार्य अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 21.02.2017, 15.09.2017, 15.03.2018 व 02.07.2018 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है तथा अधिसूचना दिनांक 01.08.2018 के द्वारा 2 ग्रामों को बन्द घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 132 ग्राम बन्द घोषित किये जा चुके हैं। शेष ग्रामों में से 02 ग्राम यथा मिर्जापुर व सिहाली खुर्द का पुनः सर्वेक्षण/तरमीन कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्रामों में सर्वेक्षण/तरमीन कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

SD

(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अलवर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009-10/1964 दिनांक 07.08.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

SD

संयुक्त शासन सचिव

RR/507
26/9/18

SM
26-9-18

54

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1 / 2008

जयपुर दिनांक = 17 SEP 2018

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य जो अधिसूचना क्रमांक प0 13(5)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 14.10.2008 के अन्तर्गत प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर को अपर भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 130 ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 21.02.2017, 15.09.2017, 15.03.2018 व 02.07.2018 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है तथा अधिसूचना दिनांक 01.08.2018 के द्वारा 02 ग्रामों को बन्द घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 132 ग्राम बन्द घोषित किये जा चुके हैं। शेष ग्रामों में से 02 ग्राम यथा भिजापुर व सिहाली खुर्द के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 02 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

रत

(रक्षित सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अलवर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2008-10/1904 दिनांक 07.08.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

RA/508
26/9/18

संयुक्त शासन सचिव